

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुआ

बनाम

मु. सं.

57/2023

दावा


04.09.23

यह वादपत्र वादी की ओर से श्री चर्मसिंह राजपूत एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.9.23 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौसा


20.10.23

आज पत्रावली पेश हुई।  
वकील बाड़ी उपस्थित। बाहेत तलबी  
दिनांक 30.10.23 को पेश हुई।

  
उप खण्ड अधिकारी  
महवा (दौसा)

03.01.24

बाड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आज पत्रावली तलब की गई। परकारण में आपसी राजीनामा हो जाने के कारण वादपत्र को खोले नहीं चलाना चाहते हैं। साथ ही बाड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र में जोहिए किमा है कि बाड़ नहीं चलाने के कारण दावा केट्रिप्स में रेकारिज कर दिया जावे। बाड़ी का सुत्मापत श्री चर्मसिंह राजपूत एडवोकेट द्वारा किमा गया। हमने बाड़ी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का उपलोकन किमा। वादपत्र तलबी

Not Process  
21/1/2024  
  
31/1/24  
(D.R. B.)

  
उपखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौसा

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड आदालत

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

तारीख हुकम

बनाम

मु. सं.

के स्तर पर जैरकर है। बादी द्वारा बादाब  
नोट प्रेष किया जाता है तो किसी प्रकार  
का कोई प्रमाण नहीं पड़ेगा। अतः प्रार्थना पर  
बादी स्वीकार गोज्य है। बादी का बाद बादी  
द्वारा छोटे नहीं चलेने के कारण खारिज  
किया जाता है। फत्रावली फैलन शुमार होकर  
अम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा जितप दौसा